



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-38

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 253490 दिनांक 22/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Arvind Kumar Bansal S/o SHRI GOVIND RAM	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद राय शर्मा	217	240.00 SQ. METER	JDA	SEZ KHATEDAR (VILLAGE NARSINGHPURA DADIYA) Sector/Block-	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	(1) श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रहलाद राम शर्मा द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 217 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री मुकेश अरोड़ा पुत्र श्री हंसराज अरोड़ा को विक्रय कर दी गई। (2) श्री मुकेश अरोड़ा पुत्र श्री हंसराज अरोड़ा द्वारा सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 217 क्षेत्रफल 240 वर्गमीटर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 202403021110 420 दिनांक 13.05.2024 से श्री अरविन्द कुमार बंसल पुत्र श्री गोविन्द राम को विक्रय की गई है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Arvind Kumar Bansal S/o SHRI GOVIND RAM को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |